न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न. 04/2019 पीठासीन अधिकारी

सूर्यकान्त शर्मा (आरटीएस)

1. शिवराजसिंह पुत्र भगताराम जाति मीणा निवासी बुचाहेड़ा

तहसील कोटपूतली जिला जयपुर प्रार्थीगण.....

बनाम

1. कैलाश पुत्र उमराव
2. विजय पुत्र कैलाश
3. सुनिल पुत्र कैलाश जाति माली निवासीयान ढाणी अमरपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर

अप्रार्थी गण.....

प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम ।

पत्रावली पेश हुई ।

निर्णय

दिनांक–15.4.2021

सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई ।प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वाके ग्राम बासड़ी के खसरा नंबर 1032/0.01,1033/0.07,1034/0.23,1071/0.02,1073/2254/0.19 के हिस्सा 10/318 की खातेदारी अवेदक नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का मौके पर विभाजन किया हुआ है। जिसके अनुसार आवेदक अपने हिस्से पर काबिज होकर फसल एवं सब्जी की काश्त करता आया है आवेदक होमगार्ड में भी नोकरी करता है जिसके कारण आवेदक ने अपनी खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि में काश्त करने के लिए काश्त करने के लिए शामिल कर लिया। आवेदक का अधिकांश समय अपनी होमगार्ड की नोकरी की ड्यूटी में होने के कारण इस स्थिति अनुचित लाभ उठाने की गर्ज से अनावेदकगण ने अनुचित रूप से आवेदकगण की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि पर अस्थाई निर्माण कराकर अधिकार स्थापित करने की कार्यवाही की। दिनांक 20.12.219 को

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

आवेदक अपनी खातेदारी की भूमि को सम्भालने के लिए भूमि पर गया तब अनावेदकगण द्वारा अनुचित रूप से डलवाई गई निर्माण सामग्री मिली जिन्हें हटाने बाबत् अनावेदकगण को कहा तो आमादा हो गये, जबकि अनावेदकगण का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार आवेदक की भूमि से कभी नही रहा है। जिसके बावजूद अनावेदकगण ने अनुचित अधिकार कायम कर रखा है। एंव अनावेदकगण ने मौके पर ओर अधिक अधिकार स्थापित करने की गर्ज से निर्माण कार्य करने के लिए धमकी दी कि मौके पर निर्माण कराकर कृषि भूमि अकृषि में तब्दील करेगे। जिसका अनावेदकगण को कोई अधिकार किसी प्रकार का नही है। अनावेदकगण द्वारा मौके पर निर्माण कर लिये जाने से मुकद्में बाजी बढेगी एंव आवेदकगण के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः अनावेदकगण का अतिक्रमण हटाये जाने योग्य है प्रार्थना पत्र मे दर्ज भूमि एंव आवेदक का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है अतः उक्त आराजीयात पर अप्रार्थीगण का अतिक्रमण हटाया जाकर कब्जा दिलवाये जाने की इस्तुदुआ की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया सूचनापरान्त अप्रार्थी विजय कुमार ,कैलाश जरिये अधिवक्ता किशन लाल सैनी उपस्थित आये तथा लिखित जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में कथन किया है कि उक्त प्रकरण दर्शित भूमि खसरा नंबरान की भूमि नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज हो चुकी है तथा भूमि की किस्म परिवर्तन हो चुकी है अब उपरोक्त भूमि कृषि भूमि नहीं है नगरपालिका के नाम अंकित हो चुकी है इस प्रकार उपरोक्त भूमि आबादी भूमि नगरपालिका क्षेत्र. में है उक्त भूमि संबंधित कोई भी विवाद व प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार केवल ओर केवल सिविल न्यायालय को है माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार नहीं है अतः क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाब में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के जिम्मन नंबर 1 वर्णित खसरा नंबर वाके ग्राम मौजा बासड़ी में स्थित है यह भूमि कृषि भूमि नहीं हो कर नगरपालिका क्षेत्र की भूमि है तथा उक्त भूमि पर आबादी बसी हुई है कोई कृषि कार्य नहीं किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर प्रार्थी की भूमि में ना तो किसी प्रकार की निर्माण सामग्री डाली गयी है ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने की धमकी दी गयी है सारे तथ्य मनघड़न्त व मिथ्या अंकित किये गये हैं। मौके पर सम्पूर्ण भूमि में आबादी बसी हुई है तथा मौके पर कोई भूमि खाली नहीं है अतः उक्त भूमि संबंधित कोई भी विवाद व प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार नहीं है अतः क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने की इस्तदुआ की है। हमने प्रार्थना पत्र के संदर्भ में पटवारी हल्का बासड़ी से मौका एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार रिपोर्ट मगवाई पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि निर्माण कार्य के संबन्ध में जांच करने पर पाया कि खसरा नंबर 1035 खातेदारी नगर पालिका मण्डल कोटपूतली में है जिसका उक्त प्रकरण से कोई संबन्ध नहीं है। प्रकरण में वर्णित खसरा नंबरान वाके ग्राम बासड़ी 1032,1033,1034,1071,1072 समस्त खसरा नंबर मुताबिक

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

जमाबन्दी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली नामान्तर संख्या 2541/8.2.2013 से दर्ज रिकार्ड है खसरा नंबर 1073/2254/0.19 है0 में से मुताबिक जमाबंदी नोट नामान्तरण संख्या 942 पर नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम 693/1900हिस्सा दर्ज रिकार्ड है शेष रकबे में से 10/318 भाग श्री शिवराज सिंह पुत्र भगताराम जाति मीणा निवासी मौ0 बूचाहेड़ा व अन्य खातेदारन के नाम हि0 मुताबिक जमाबन्दी दर्ज हैं। उक्त खसरा नंबरान पर वर्तमान में पुख्ता मकानात बने होकर आबाद हैं। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी गण की मौखिक बहस सुनी गई ।

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब व मौखिक बहस पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वाके ग्राम बासड़ी के खसरा नंबर 1032/0.01,1033/0.07,1034/0.23,1071/0.02,1072/0.02,1073/2254/0.19 है 0 में से खसरा नंबर 1032,1033,1034,1071,1072 मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड नगरपालिका कोटपूतली के नाम दर्ज हो चुके हैं। तथा खसरा नंबर 1073/2254/0.19 है0 में से 693/1900 हिस्सा नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज हो चुका है तथा पटवारी रिपोर्टानुसार उक्त खसरा नंबरान की समस्त भूमि पर पुख्ता निर्माण होकर आबादी बसी हुई है अतः उक्त भूमि का अधिकतर हिस्सा नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम दर्ज होकर भूमि का संपरिवर्तन हो चुका है तथा कुछ हिस्सा खसरा नंबर 1073/2254/0.19 में से प्रार्थी एवं अन्य खातेदारन के नाम दर्ज हि0 10/318 मुताबिक जमा बन्दी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है एवं समस्त भूमि पर मौका रिपोर्टानुसार मौके पर निर्माण होकर आवासीय उपयोग में आ रही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि कृषि भूमि ना होकर अकृषि उपयोग होने के कारण धारा 183 बी आर.टी. एक्ट के तहत विचारणीय प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी. एक्ट अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

निर्णय आज दिनांक 15.4.2021को सरे इजलास सुनाया गाय।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)